

संशोधित आदेश

विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 8476 दिनांक 10.04.2023 के तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत RUIDP ISoR-2022 वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 01.04.2023 से नवीन कार्यों के प्रस्ताव/तकमीने तैयार किये जाने के निर्देश अनुमत गार्डडलाइन के अनुसार जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों के उपरांत भी कई नगरीय निकायों के द्वारा कुशल, अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की दरों के प्रयोग बाबत मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः उपरोक्त जारी आदेश की निरन्तरता में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.06.2022 के द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित रू. 259/- प्रतिदिन एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) के लिए रू. 271/- प्रतिदिन की दर से नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
2. कुशल श्रमिकों के लिए विभागीय RUIDP ISoR-2022 की निर्धारित दरों के अनुरूप नियमानुसार किया जावेगा।



(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.56(क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023-24 / 9351-9644

दिनांक: 18.04.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
5. वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक, निदेशालय।
6. परियोजना निदेशक (तकनीकी), इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
7. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानिय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
9. समस्त मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, समस्त राजस्थान।
10. समस्त अधिकाधी अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक (IRGY) समस्त राजस्थान।
11. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत।
12. सुरक्षित पत्रावली।



निदेशक एवं विशिष्ट सचिव